आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 77/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

15/09/20

दाता श्री राजवंशी सिंह, पिता–राम किशुन सिंह, ग्राम–सोनभद्र, थाना+अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:--

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
01	—	15 डी०	उतर–बाबु फिरंगी सिंह दक्षिण–बाबु प्रसिद्व सिंह पूरब–बाबु हरखु सिंह पश्चिम–भगवान सिंह

मौजा–सोनभद्र, थाना+अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपूर, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 838 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर से भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नही हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के कार्यालय पत्रांक 214 दिनांक 28.07.2020 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

भूदान दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता हस्ताक्षर है जिसका गवाह हुलसे नारायण सिंह एवं मिहरा चरण सिंह है। भूमि दिनांक 04.02.1954 को दान पत्र में दिया गया है। अंचल अधिकारी सोनभद्र वंशी सूर्यपूर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि भूमि का कुल रकवा–15 कटटा है जो अपासी जल स्त्रोत है। इसका प्लॉट नही होता है। वर्तमान में भी जल स्त्रोत है। वर्णित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम, कैसरे हिन्द, श्मशान, मंदिर, मस्जिद आदि से मुक्त है।

अतः भूदान यज्ञ दान पत्र की भूमि खाता संख्या–01 का कुल रकवा–15 कटटा भूमि है जो अपासी जल स्त्रोत है वर्तमान में भी जल स्त्रोत हैं वर्णित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम, कैसरे हिन्द, श्मशान, मंदिर, मस्जिद आदि से मुक्त हैं वर्णित भूमि दाता श्री राजवंशी सिंह द्वारा दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की दान करने का अधिकार दाता को नही है जिसे वर्णित भूमि का संपुष्टि की कार्यवाई करना उचित प्रतीत नही होता हैं वाद को खारिज किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

ह०/ 15.9.20

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

ह०/ 15.9.20

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।